

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 56/2019

1. दीपसिंह पुत्र पैपसिंह जाति राजपूत निवासी सबलपुरा तहसील धोद जिला सीकर

--वादी--


बनाम

- 1- प्रहलाद सिंह पुत्र दान सिंह
- 2- ईश्वर सिंह पुत्र दान सिंह (मृत)
  - 2/1. कमल कंवर
  - 2/2. तमन्ना कंवर
  - 2/3. सुनीता कंवर पुत्रियां ईश्वर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सबलपुरा तहसील धोद जिला सीकर
- 3- घीसा सिंह पुत्र जगनसिंह उर्फ जगन्नाथ
- 4- अभिमन्यू सिंह पुत्र भगवान सिंह
- 5- रितुराज सिंह पुत्र भगवान सिंह
- 6- संतोष कंवर पत्नी भगवानसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण सबलपुरा तहसील धोद जिला सीकर
- 7- सीकर केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा पिपराली
- 8- उप पंजियक सीकर
- 9- तहसीलदार सीकर
- 10- नरपत सिंह पुत्र पैपसिंह
- 11- राजेन्द्र सिंह पुत्र पैपसिंह
- 12- शंकरसिंह पुत्र पैप सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सबलपुरा तहसील धोद जिला सीकर
- 13- बडौदा तस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पिपराली तहसील व जिला सीकर
- 14- पटवारी हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर
- 15- तहसीलदार सीकर जिला सीकर

— प्रतिवादीगण—  
7/30/11/22

दादा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निवेधाना अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.  
टी.एक्ट

तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भूअ/ 2022/6304 दिनांक  
23.11.2022 के अनुसार वकील उभयपक्ष की सहमति से अंतिम डिक्री दी जाती है।  
विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार इसी अनुसार अमल दरामद व  
तरमीम करे।

  
(गरिमा लोदी)

उपखण्ड अधिकारी सीकर

बाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. बाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	36.00
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 30-11-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

  
उपखण्ड अधिकारी सीकर